जितेन्द्र कुमार शर्मा 9175
दस्तावेज लेखक
चै० नं०34, तहसील कम्पाउन्ड गा०बाद

STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA LTD. GHAZIABAD

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00225052700717M
Certificate Issued Date	:	21-Jan-2014 02:23 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0100254038560326M
Purchased by	:	PRIYA SINGH WIFE OF ALOK KUMAR SINGH
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	SEC- 10B/ 99 DUPLEX VASUNDHARA GZB
Consideration Price (Rs.)	:	48,00,000 (Forty Eight Lakh only)
First Party	:	YAKUB ALI
Second Party	:	PRIYA SINGH WIFE OF ALOK KUMAR SINGH
Stamp Duty Paid By	:	PRIYA SINGH WIFE OF ALOK KUMAR SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,00,000 (Three Lakh only)

VERIFIED BY

LOCKED BY

Please write or type below this line

नफीसा Priya Singh

YL 0000031581

Valid Valid Valid Valid Valid
Valid Valid Valid Valid Valid

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

OFFICE OF THE TREASURY GHAZIABAD

20 JAN 2014

Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 403501

[1]

विक्रय पत्र अंकन–48,00,000/–रूपये का
स्टाम्प अंकन–3,62,000/–रूपये का

1–भूमि का प्रकार –आवासीय
2–वार्ड परगना –लौनी
3–मौहल्ला ग्राम –सैक्टर–10बी, आवासीय कालोनी वसुन्धरा योजना गाजियाबाद।
4–सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर)–आवासीय भवन संख्या–10बी/99, (डुपलैक्स),
5–मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर)–वर्ग मीटर में,
6–सम्पत्ति का क्षेत्रफल –80.83 वर्ग मीटर,
7–सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)–9 मीटर चौड़ी रोड़
8–अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कॉर्नर आदि)–नहीं है।
9–सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)–लागू नहीं
10–स्थिति–फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य–फिनिश्ड, प्रथम श्रेणी निर्मित
11–पेड़ों का मूल्यांकन –लागू नहीं
12–बोरिंग/कुंआ/अन्य –लागू नहीं,

नफीसा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 403502

Chief Treasury Officer

[2]

13–निर्मित क्षेत्रफल –**96.52** वर्ग मीटर,

14–निर्माण का वर्ष –

15–सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है हाँ/नहीं–नही

16–भूमि की सरकारी दर –**50,000**/–रूपये प्रति वर्ग मी0

17–निमार्ण की दर –**10,000**/–रूपये प्रति वर्ग मी0

18–सोफ्टवेयर के अनुसार वी0 कोड नं0–**454**

19–उक्त विक्रय भवन दो रास्तो का नहीं है।

20–उक्त विक्रय भवन पार्क फेसिंग का होने के कारण भूमि की दर में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

सीमा उक्त विक्रय भवनः–

पूरब – भवन नम्बर–100

पश्चिम – भवन नम्बर 10 बी/98,

उत्तर – भवन नम्बर–10 बी/94,

दक्षिण – रोड़ 9 मीटर चौड़ी।

नफीसा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 403503

20 JAN 2014

Chief Treasury Officer

[3]

प्रथम पक्ष की संख्या (तीन)

श्री तैय्यब अली Pan No-

पुत्र मौ0 याकूब व

मौ0 याकूब Pan No-AMDPA3716G

पुत्र श्री साबिर अली व

श्रीमति नफीसा बेगम Pan No-

पत्नी मौ0 याकूब

निवासी–ग्राम इदरीशपुर डा0 बडौत तहसील बडौत, जिला बागपत ....

..........प्रथम पक्ष विक्रेतागण।

नफीसा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD
17 JAN 2014
Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 401232

[4]

द्वितीय पक्ष की संख्या (एक)

श्रीमती प्रिया सिंह ***Pan No-ESZPS3073L***

पत्नी श्री आलोक कुमार सिंह

निवासी–2126, सैक्टर–16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद (उ0प्र0)..................द्वितीय पक्ष क्रेता।

जितेन्द्र कुमार शर्मा
दस्तावेज लेखक
गा०बाद
लै० नं०34

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF THE TREASURY GHAZIABAD

17 JAN 2014

भारत

Rs.5000

रु.5000

Chief Treasury

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 401233

[5]

क्रेता महिला होने के कारण शासनादेश सं० स०वि०क०नि० 5–2756/11–2008–500 (1165)/2007 लखनऊ दिनांक–30जून 2008 के अनुसार 6 प्रतिशत स्टाम्प अदा किया गया है।

विक्रय सम्पत्ति का विवरण ::–

केवल एक आवासीय भवन संख्या–**10बी/99**, (डूपलैक्स), टाईप–97/79, जिसका कुल क्षेत्रफल–**80.83** वर्ग मीटर है जिसके ग्राउन्ड फ्लोर पर एक बैड रूम, एक ड्राईग/डायनिंग रूम, किचन, लैटरीन, बाथरूम व जीना बने है जिसका कवर्ड एरिया–**48.26** वर्ग मीटर है तथा फस्ट फ्लोर पर दो बैडरूम, किचिन लैटरीन बाथरूम बने है, जिसका कवर्ड एरिया–**48.26** वर्ग मीटर है, इस प्रकार उक्त भवन का कुल कवर्ड एरिया–**96.52** वर्ग मीटर है, जिसमें संलग्न नक्शे

जितेन्द्र कुमार शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

OFFICE OF THE TREASURY
GHAZIABAD

17 JAN 2014

रु.5000

Chief Treasury Officer

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 401234

अनुसार निर्माण अंकित है स्थित–<u>**आवासीय कालोनी सैक्टर–10बी, वसुन्धरा योजना**</u> गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद। जो कि पूर्णतया आवासीय है तथा आवासीय प्रयोग हेतू विक्रय है तथा उक्त विक्रय भवन मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है। उपरोक्त विक्रय भवन मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से **500 मीटर** से अधिक की दूरी पर स्थित है तथा उपरोक्त विक्रय भवन की बाबत हम दोनो पक्षो के मध्य अब से पूर्व में कोई इकरार नामा महायदा बय आज दिन तक किसी भी कार्यालय में पंजीकृत नहीं हुआ है।

इस विक्रय पत्र में विक्रेतागण व क्रेता के समस्त उत्तराधिकारीगण व वैधानिक प्रतिनिधिगण एवं स्थानापन्न आदि–आदि सभी सम्मिलित समझे जावेंगे।

विदित हो कि उपरोक्त विक्रय भवन को हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने

जितेन्द्र कुमार शर्मा
दस्तावेज लेखक
चै० नं०34

6

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

17 JAN 2014

पाँच हज़ार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 401543

[7]

द्वारा खरीद बैनामा श्रीमति प्रतिमा सक्सेना पत्नी श्री एस० पी० सक्सेना निवासी 14, एल० ब्लाक, 40 दुकान मार्किट, किदवई नगर कानपुर–11, से खरीद किया है। जिसका पंजीकरण कार्यालय सब रजिस्ट्रार चतुर्थ गाजियाबाद में बही नम्बर–**1** जिल्द–**9740**, के पृष्ठ–**177 से 212**, में नम्बर–**5421** पर दिनांक–**07/03/2008** ई० को दर्ज होकर हुआ है तथा इससे पूर्व उक्त भवन को श्रीमति प्रतिमा सक्सेना ने द्वारा बजरिये विक्रय विलेख इकरारी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वसुन्धरा गाजियाबाद से तहरीरी दिनांक 19/08/2004 ई० को जिसकी रजिस्टरी बही नम्बर–1, जिल्द–4577 के पृष्ठ–89/114 में नम्बर–17651 पर कार्यालय सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है के द्वारा स्वामी, अधिकारी, मालिक, काबिज व दखिल है। अतः अब उक्त विक्रय भवन को विक्रय करने के लिए उत्तर प्रदेश आवास एंव

जितेन्द्र कुमार शर्मा
दस्तावेज लेखक
लै० नं०34,

7

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

17 JA

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AT 401544

विकास परिषद वसुन्धरा योजना गाजियाबाद से व अन्य किसी विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है तथा उक्त विक्रय सम्पत्ति हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण की ओर से आज दिन तक हर प्रकार के भार, सरकारी, गैर सरकारी, लेन–देन, बैंक लोन, जमानत, बय हिबे, महायदाबय आदि–आदि से पूर्णतया पाक ओर साफ है कहीं अन्य जगह ग्रस्त नहीं है और ना ही उक्त विक्रय सम्पत्ति की बावत कोई वाद–विवाद किसी भी न्यायालय व कार्यालय में आज दिन तक विचाराधीन है। अतः उक्त विक्रय भवन को हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण अपनी खुशी व रजामन्दी व स्वस्थ्य इन्द्रियों की दशा में बिना किसी भी दबाव व बहकाव के मय तमाम मालिकाना हक हकूक हर किस्म उसके कब्जा आदि–आदि के बदले कुल **अंकन–48,00,000/–रूपये {अड़तालीस लाख रूपये} आधे जिसके कि अंकन–24,00,000/–रूपये** होतें हैं, में द्वितीय पक्ष क्रेता वर्णित उपरोक्त को विक्रय कर दिया यानि कि बेच दिया तथा कुल विक्रय धनराशि उपरोक्त को हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष क्रेता से **अग्रलिखित** विवरण के अनुसार वसूल

8

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs.5000

रु.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

पाँच हजार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

17 JAN 2017

GHAZIABAD

Chief Treasury Officer

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 401545

प्राप्त कर ली है, कुछ बाकी नहीं रहा है और ना ही आईन्दा होगा तथा विक्रय भवन का कब्जा क्रेता को मौके पर पूर्णरूप से व वास्तविक रूप एंव स्वामित्व रूप से करा दिया गया है तथा उक्त विक्रय भवन से सम्बन्धित समस्त असल कागजात क्रेता को सौंप दियें गयें हैं तथा अब क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावे, विक्रय करें, विक्रय करने का अनुबन्ध करें, नक्शा पास करावे, निर्माण करें इसमें कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की मुझ प्रथम पक्ष विक्रेता को नहीं होगी तथा क्रेता अपना नाम इस विक्रय पत्र के आधार पर स्वंय ही राजपत्रो में दर्ज करा लेगें। जिसमें हम विक्रेतागण व मेरे वारिसान् को कोई आपत्ति नहीं होगी और आज के बाद क्रेता भी प्रथम पक्ष विक्रेतागण की भांति उत्तर प्रदेश आवास एंव विकास परिषद वसुन्धरा गाजियाबाद के द्वारा वर्तमान व समय-समय पर निर्धारित नियमो, शर्तो व विनियमो के पाबन्द रहेगें। अब इकरार यह है कि यदि उक्त विक्रय सम्पत्ति पर आज इस विक्रय पत्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

15 JAN 20[illegible]

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 834483

[10]

से पहले का किसी भी प्रकार का कोई भार पाया जाता है तो उस भार को अदा करने की जिम्मेदारी हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण की होगी तथा आज के बाद समस्त भार द्वितीय पक्ष क्रेता अपने पास से अदा करेगें तथा उक्त विक्रय सम्पत्ति या उसका कोई हिस्सा द्वितीय पक्ष क्रेता के कब्जे से हम विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण की किसी भी प्रकार की दावेदारी या कानुनी दोष त्रुटि होने के कारण निकल जाता है तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रय सम्पत्ति की बावत अदा की गई समस्त धनराशि को मय हर्जे खर्चे मय सूद कानूनी के न्यायालय द्वारा जिस प्रकार चाहे हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण की चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें इसमें हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं होगी। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता द्वितीय पक्ष ने स्वंय वहन किया है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 398935

Chief Treasury Officer

[11]

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे इति।

नोट—यह विक्रय पत्र पक्षगण के बताये गये विवरण के अनुसार तैयार किया गया है लेखक/एडवोकेट द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

विवरण वसूली याबि अंकन—48,00,000/—निम्न प्रकार है:—

अंकन—8,00,000/—रूपये द्वारा RTGS UTR No-UTIBH13358073929 जो कि एक्सीस बैंक ब्रान्च अशोका निकेतन, दिल्ली का तथा जिसे दिनांक—24/12/2013 ई0 को प्रथम पक्ष के खाते में समायोजित कर दिया गया है व

अंकन—8,00,000/—रूपये द्वारा RTGS UTR No-UTIBH14004046237 जो कि एक्सीस बैंक ब्रान्च अशोका निकेतन दिल्ली का तथा जिसे दिनांक—04/01/2014 ई0 को प्रथम पक्ष के खाते में समायोजित कर दिया गया है व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AT 398936

Chief Treasury Officer

अंकन–8,00,000/–रूपये द्वारा RTGS UTR No-UTIBH14007021911 जो कि एक्सीस बैंक ब्रान्च अशोका निकेतन दिल्ली का तथा जिसे दिनांक–07/01/2014 ई0 को प्रथम पक्ष के खाते में समायोजित कर दिया गया है व

अंकन–8,00,000/–रूपये द्वारा RTGS UTR No-UTIBH14009083500 जो कि एक्सीस बैंक ब्रान्च अशोका निकेतन दिल्ली का तथा जिसे दिनांक–09/01/2014 ई0 को प्रथम पक्ष के खाते में समायोजित कर दिया गया है व

अंकन–8,00,000/–रूपये द्वारा RTGS UTR No-UTIBH14018088908 जो कि एक्सीस बैंक ब्रान्च अशोका निकेतन दिल्ली का तथा जिसे दिनांक–18/01/2014 ई0 को प्रथम पक्ष के खाते में समायोजित कर दिया गया है व

अंकन–8,00,000/–रूपये द्वारा RTGS UTR No-UTIBH14020096421 जो कि एक्सीस बैंक ब्रान्च अशोका निकेतन दिल्ली का तथा जिसे दिनांक–20/01/2014 ई0 को प्रथम पक्ष के खाते में समायोजित कर दिया गया है। इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेतागण ने द्वितीय पक्ष क्रेता से अपना समस्त धन प्राप्त कर लिया है, कुछ बाकी नहीं रहा है।

नफीरता

SITE PLAN OF HOUSE NO-10B/99
AT VASUNDHRA YOJNA THA.
GHAZIABAD(U.P.)

TOTAL PLOT AREA= 80.83 SQ
COVD AREA= 96.52 SQ MT

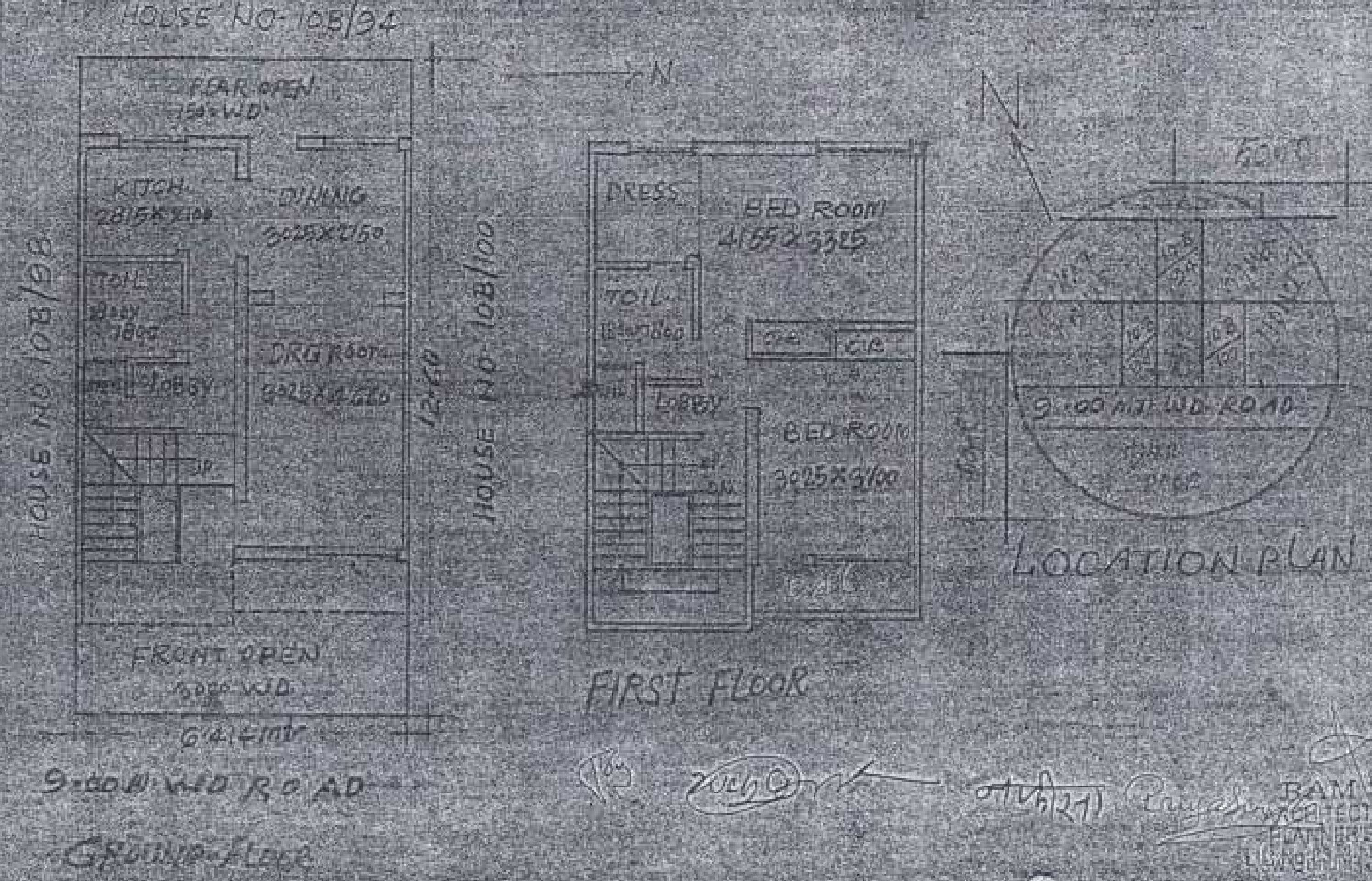

RAM SONA
ARCHITECTS ENGINEERS
PLANNERS & VALUERS

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 573322

[13]

गवाह फोटो

गवाह फोटो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

13 JAN 2014

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 573323

Chief Treasury Officer

[14]

गवाह नं0–1–
श्री मोहित सिंह
पुत्र श्री वेदप्रकाश चौहान
निवासी–12/504,
वसुन्धरा गाजियाबाद।

गवाह नं0–2–

दिनांकः–29/01/2014 मसौदा (जितेन्द्र कुमार शर्मा) दस्तावेज लेखक तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद चै0 नं0–34

A & J

जितेन्द्र कुमार शर्मा
दस्तावेज लेखक
चै0 नं034, तहसील कम्पाउन्ड गा0बाद

14

114680

02CC 659991

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 19 माह Aug वर्ष 04 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात " परिषद " कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अन्यर्पिती है और सम्मिलित है।

Bailons Sare

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु. Rs.20000रु.

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000रु. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु.

02CC 659992

[2]

एक पक्ष और श्रीमती प्रतिमा सक्सैना पत्नी श्री एस0पी0 सक्सैना वर्तमान पता– मकान न0–14,एल0 ब्लाक, 40 दुकान मार्किट, किदवई नगर, कानपुर–11, जिसके एतदश्चात पंजीकृत इच्छुक केता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:–

Pratima Saxena

सहायक आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 659993

AUG 2004

[3]

चूँकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर गाजियाबाद तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद में वसुन्धरा नामक मुहल्ले के सैक्टर–10बी में स्व0वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित 97/79 प्रकार का डयूप्लैक्स भवन संख्या–10बी/99 का निर्माण एंव भूमि का कुल मूल्य है। और चूँकि उक्त परिषद ने रू 11,41,312.00 (रूपया ग्यारह लाख इकतालीस हजार तीने सौ बारह मात्र) जिसका आधा रू 5,70,656.00 (रूपया पॉच लाख सत्तर हजार छः सौ छप्पन मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या–10बी/99 को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूँकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तो के अधीन कय करने के लिए सहमत है अतएव अब रू 11,41,312.00 (रूपया ग्यारह लाख इकतालीस हजार तीने सौ बारह मात्र) धनराशि के

Pratima Sax-

सहायक आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 659994

16 AUG 2004

[4]

प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन परिषद् एतद् द्वारा वसुन्धरा योजना में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना सम्पत्ति संख्या–10बी/99)जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा घृत करने के लिए विकय और अन्तरित करती है :–

Pratima Saxena

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

02CC 659995

16 AUG 2004

[5]

1– परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2– एतद् द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

3– उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया गया अथवा किया जाना है।

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

16 AUG 2004

मुख्य कोषाधिकारी

04AA 314093

4– इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसको उपभोग करेगा।

5–यदि इच्छुक केता एतद द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद् के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद् इच्छुक केता को युक्तियुक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगी।

Pratima Saxena

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

381247

6–उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:–

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस संबंध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

Pratima Saxena

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

381240

7– उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देन दार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद् की कालोनी में सड़कों,जल सम्पूर्ति ,बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद् को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति संख्या–10बी/99)पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद् उक्त धनराशि को 18 प्रतिशत (अट्ठारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

Prahma Saxena

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

381245

8– पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विकय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

9– इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त (सम्पत्ति संख्या–10बी/99) स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि, या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।

Pratima Saxena

सहायक आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

381244

16 AUG 2004

मुख्य कोषाधिकारी

10–केता ने विलेख में दिये गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

Pratima Saxena

सहायक [illegible]
उ०प्र० [illegible]
वसुन्धरा, [illegible]

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

16 AUG 2004

मुख्य कोषाधिकारी

[11]

जिसके साक्ष्य में श्री रा० वी० सिंह AHC ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्रीमती प्रतिमा सक्सैना केता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना, साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची "क"

विकय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्ति संख्या श्रेणी –स्व०वि० पोषित के अन्तर्गत एफ–9/79
प्रकार के भवन संख्या– 10बी/99

सीमाएं		
उत्तर	संलग्न	क्षेत्रफल– 80.83 वर्ग मी०
पूर्व	साइट	पूर्व 12.60 मी० संलग्न
दक्षिण	प्लान के	पश्चिम 10B/96 साइट
पश्चिम	अनुसार	उत्तर 10B/95 प्लान के
		दक्षिण 9.00 मी० अनुसार

Pratima Saxena

सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र० ...
...

100Rs.

15 AUG 2004

मुख्य कोषाधिकारी

[12]

1–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम ....

3. पता ....

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से -

2–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम ....

3. पता ....

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

गाजियाबाद

सहायक आवास आयुक्त/ सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी

(कृते आवास आयुक्त)

1–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम G.S. Sauhai

3. पता 1747/120 Tri Nagar Delhi-35

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

2–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम S.P. Saxena.

3. पता 3N 14L, 40 Dukan MKT Kidwai Nagar Kanpur

1. हस्ताक्षर Pratima Saxena

2. नाम– प्रतिमा सक्सैना

3. पता– मकान न०–14,एल० ब्लाक, 40 दुकान मार्किट, किदवई नगर, कानपुर–11

BUILDING PLAN & SITE PLAN OF S.F.S. HOUSE TYPE- 97/79 (DUPLEX) SECTOR- 10-B, HOUSE NO. 10-B/ 99 SITUATED AT VASUNDHARA YOJNA. GHAZIABAD

NAME OF ALLOTTEE :- SMT. PRATIMA SAXENA

SIZE OF PLOT = 6.415 M X 12.60 M.

TOTAL AREA OF PLOT = 80.83 SQ.M.

TOTAL COVERED AREA = 96.52 SQ.M.

CATAGORY OF HOUSE = SEMI FINISHED

STANDERED BUILDING G. FLOOR PLAN

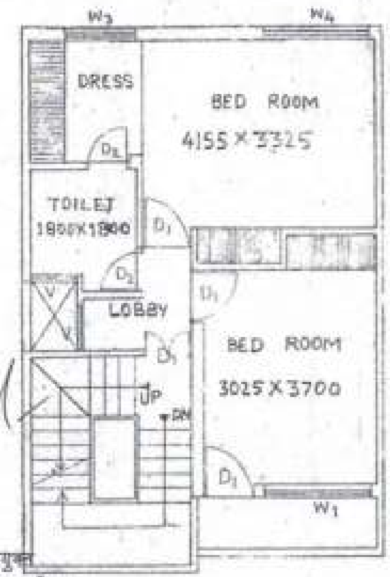

FIRST FLOOR PLAN

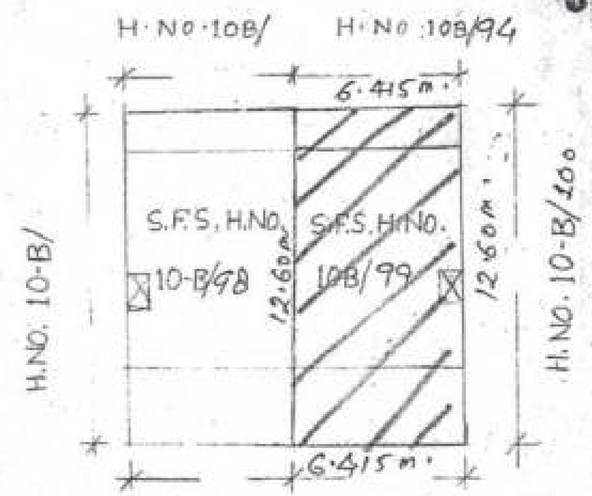

M. WD. ROAD 9.00 M. WD. ROAD

SITE PLAN (1:200)

D/MAN

A.E.

C.D. II, U.P. A.V.P. GHAZIABAD. (U.P.)

{1}

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 615830

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1-प्रतिफल की धनराशि 20,35,000/रूपये

2-कुल मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क दिया गया 20,35,000/रूपये

3-स्टाम्प शुल्क -2,04,000/रूपये

4-सम्पत्ति का प्रकार - आवासीय

5-वार्ड/परगना- लौनी

6-मौहल्ला/ग्राम- वसुन्धरा कालौनी गाजियाबाद

7-सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति न0) भवन नम्बर-10बी/99 डुप्लैक्स

8-सडक की स्थिति - मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {2} 615829

9-सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 80.83 वर्ग मीटर

10-कुल कवर्ड क्षेत्रफल- 96.26 वर्ग मीटर

11-निर्माण का वर्ष व निर्माण की श्रेणी -प्रथम श्रेणी यानि 6000/रूपये

12-भूमि की दर - 18,000/रूपये मीटर

13-भूमि की दर (छूट के बाद)- नही

14-निर्माण का मूल्य (ह्रास के बाद)- नही

15-सम्पत्ति की स्थिति - फिनिशड/ अनफिनिशड - नही

16-पार्किंग का मूल्य - नही

17-प्रयुक्त पृष्ठो की संख्या-16

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {3} 615828

बैनामा अंकन- 20,35,000/रूपये का ।

स्टाम्प अंकन- 2,04,000/रूपये का ।

विक्रय भवन का विवरण- भवन नम्बर-10बी/99 (डुप्लैक्स) टाईप 97/79 क्षेत्रफल 80.83 वर्ग मीटर जिसमें उ0 प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित ग्राउन्ड फलोर पर एक बैड रूम, एक ड्राइंग /डायनिंग रूम , किचिन, लैटरीन बाथरूम व जीना बने है कवर्ड ऐरिया 48.26 वर्ग

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

OFFICE OF THE CHIEF TREASURY OFFICER GHAZIABAD

-7 MAR 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {4} 615827

मीटर है व फस्ट फलोर पर दो बैडरूम ,किचिन लैटरीन बाथरूम बने है कवर्ड ऐरिया 48.26 वर्ग मीटर है, कुल कवर्ड ऐरिया 96.52 वर्ग मीटर है बाकि सहन है निम्न सीमा स्थित आवासिक कालौनी सैक्टर-10 बी वसुन्धरा गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद ।

सीमा विक्रय भवन

पूरब- भवन दीगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {5} 615826

पश्चिम- भवन नम्बर 10 बी/98

उत्तर- भवन नम्बर 10 बी/94

दक्षिण- रोड 9 मीटर चौडा

हम कि श्रीमति प्रतिमा सक्सेना पत्नी श्री एस0 पी0 सक्सेना निवासी 14 एल0 ब्लाक, 40 दुकान मार्किट किदवई नगर कानपुर-11 प्रथम पक्ष विक्रेता ।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

OFFICE OF THE ... GHAZIABAD

- 7 MAR 2008

CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {6} 615825

इस विक्रय पत्र में विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण सम्मलित समझे जावेगे ।

एव

श्री तैय्यब अली पुत्र मौ0 याकूब व मौ0 याकूब पुत्र श्री साबिर अली व श्रीमति नफीसा बेगम पत्नी मौ0 याकूब निवासी ग्राम इदरीशपुर डा0 बडौत तहसील बडौत जिला बागपत द्वितीय पक्ष क्रेता ।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

OFFICE OF THE ... GHAZIABAD

- 7 MAR 2008

CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {7} 615824

विदित हो कि भवन नम्बर-10बी/99 (डुप्लैक्स) टाईप 97/79 क्षेत्रफल 80.83 वर्ग मीटर जिसके ग्राउन्ड फलोर पर एक बैड रूम, एक ड्राइंग /डायनिंग रूम , किचिन, लैटरीन बाथरूम व जीना बने है कवर्ड ऐरिया 48.26 वर्ग मीटर है व फस्ट फलोर पर दो बैडरूम ,किचिन लैटरीन बाथरूम बने है कवर्ड ऐरिया 48.26 वर्ग मीटर है, कुल कवर्ड ऐरिया 96.52 वर्ग मीटर है बाकि सहन है निम्न सीमा स्थित

CHANDER KANT VERMA DEED WRITER

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

OFFICE OF THE ... GHAZIABAD

-7 MAR 2008

CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 615823

आवासिक कालौनी सैक्टर-10 बी वसुन्धरा गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद की मै प्रथम पक्ष मालिक काबिज स्वामी हूं । उपरोक्त भवन प्रथम पक्ष ने बजरिये विक्रय विलेख इकरारी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वसुन्धरा गाजियाबद से तहरीरी दिनांक 19-8-2004 ई0 को जिसकी रजिस्टरी बही नम्बर-1 जिल्द 4577 के पृष्ठ 89/114 में नम्बर-17651 पर कार्यालय सब रजिस्टार गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है, पंजीकृत हो चुका है। उपरोक्त भवन विक्रेता की ओर से आज दिन तक

CHANDER KANT V... DEED WRITER

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

03 MAR 200

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 191705

हर प्रकार से सुरक्षित है कही अन्य आड, रहन, बय हिबै, महायदाबय , जमानत लौन आदि से ग्रस्त नहीं है मिलकियत विक्रेता में कोई दोष व त्रूटि नहीं है। अतः विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है । क्रेता ने मौके पर देखकर अपनी पूर्णतः सन्तुष्टि कर ली है । अब प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भवन को अपनी खुशी रजामन्दी से मये शुद्ध बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियों , बिना किसी बहकाव दबाव के बिना किसी नशे की दशा में मये तमामी हक हकूक मालकाना दाखिली खारजी हर किस्म कब्जा आदि आज की तारीख

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {10} B 191706

OFFICE OF THE ... TREASURY GHAZIABAD 03 MAR ... CHIEF TREASURY OFFICER

में बदले अंकन- 20,35,000/रूपये (बीस लाख पैतीस हजार रूपये) आधे जिसके अंकन- 10,17,500/रूपये होते है मे बहक उपरोक्त द्वितीय पक्ष को बय कतई कर दिया और बेच दिया है कुल रूपया विक्रेता ने क्रेतागण से निम्न प्राप्त कर लिया है कुछ बाकि नही रहा है कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण व वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता मालिक व स्वामी हो गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि जिस प्रकार चाहे मालकाना प्रयोग मे लावे और लाभ उठावे, अन्य निर्माण करे, स्वयं रहे

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

GHAZIABAD TREASURY 03 MAR CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 191707

या दूसरे को रखे, प्रथम पक्ष व वारसान प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी । यदि विक्रेता के मालिकाना हक न होने के कारण या किसी कानुनी नुक्स की वजह से या वारसान विकेता की दावेदारी के कारण विकय भवन कुल या उसका कोई अंश क्रेता के कब्जे मालकाना से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा में क्रेता को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाले भाग की कुल धनराशि को जिस प्रकार चाहे

Pratima Saxena नफीसा

राकेश शर्मा

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

03 MAR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 191708

अदालत द्वारा विक्रेता व वारसान विक्रेता की चल अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेवे । कागजात सरकारी में विक्रेता के नाम के स्थान पर क्रेता का नाम दर्ज होगा, जिसे क्रेता स्वयं दर्ज करा लेवे । आज दिन तक के समस्त देय बिजली ,पानी, हाऊस टैक्स, आदि को अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी । तथा आज के बाद के समस्त देयो को अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी । नकशा साथ में संलग्न है । विक्रय पत्र

Prakash Swarup Garg

नफीसा

राजेन्द्र कुमार

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL

OFFICE OF ... GHAZIABAD ... TREASURY
03 MAR 2009
OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 191709

का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष क्रेता ने वहन किया है उक्त भवन आवासीय हेतु क्रय किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर 18,000/रूपये प्रति वर्ग मीटर से तथा निर्माण प्रथम श्रेणी 6000/रूपये प्रति वर्ग मीटर से स्टाम्प डयूटी अदा की गई है। पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं हुआ है। मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर है। विक्रय भवन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

03 MAR 2009

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 191710

{14}

ग्राम समाज व पटटे व वक्फ का नहीं है । विकय पत्र मे जो निर्माण उल्लेखित है वही नक्शे मे दर्शाया गया है तथा विक्रेता व क्रेता के बताये अनुसार यह मसौदा तैयार किया गया है।

अत: यह बैनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

<u>फोटो का प्रारूप</u>

मकान/प्लाट नम्बर- भवन सं0-10 बी
ख0 न0-
मौहल्ला/कालौनी/ग्राम-

Pratima Saxena नफीसा

SITE PLAN OF HOUSE No-10-B/99,
AT VASUNDHRA YOJNA T.H.A.
GHAZIABAD (U.P)

TOTAL PLOT AREA = 80.83 Sqmt.
TOTAL COVD AREA = 96.52 Sqmt.

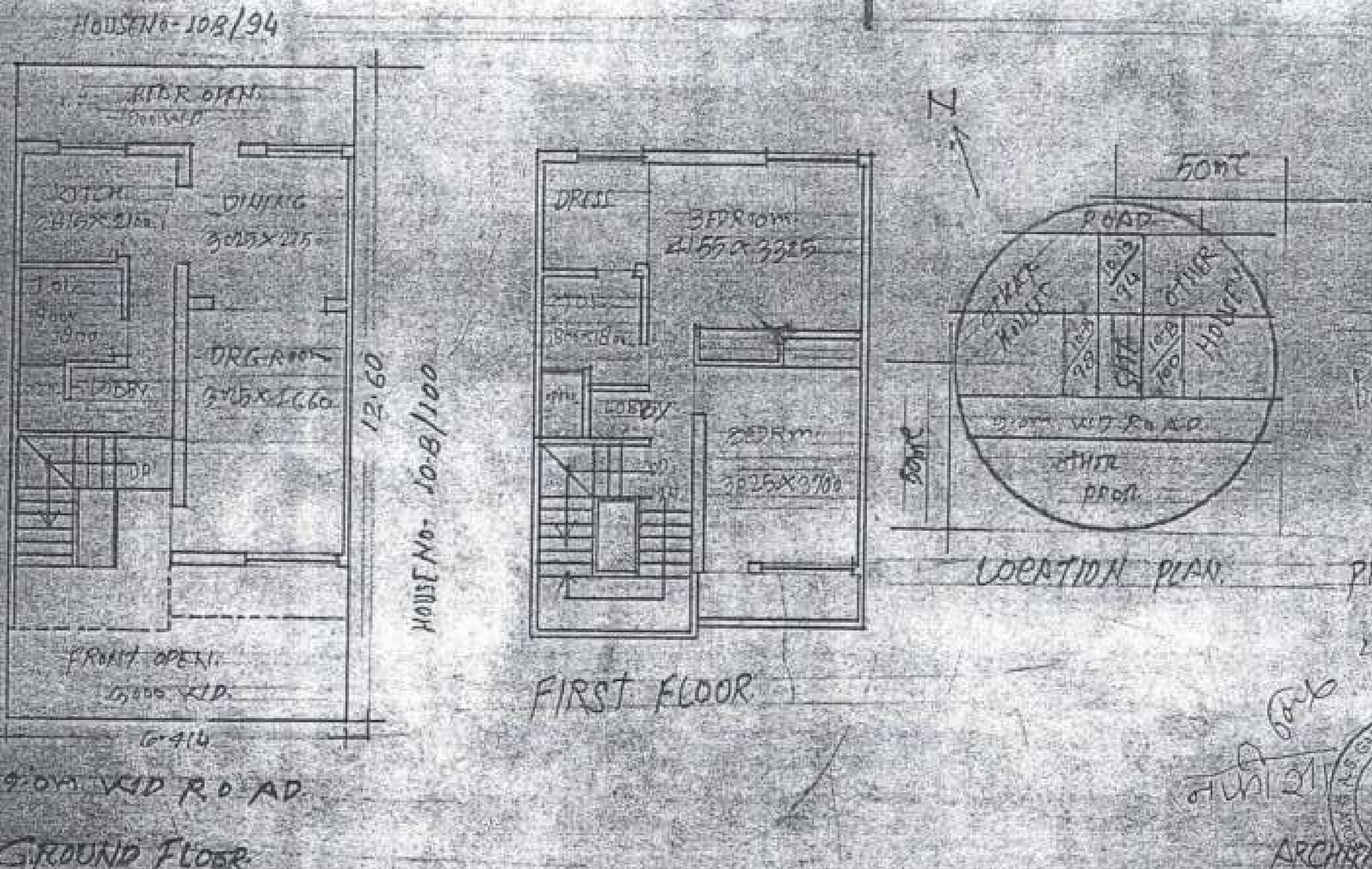

SELLER SIGN.

PURCHASER SIGN

ARCHITECT SIGN.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

GHAZIABAD TREASURY 03 MAR CHIEF TREASURY OFFICER

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH {15} B 191711

विवरण वसूल याबी-अंकन-4,50,000/रूपये बजरिये ड्राफट नम्बर- 911481 दिनांक 4-3-2008 ई0 ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स कानपुर द्वारा व अंकन-5,50,00/रूपये बजरिये ड्राफट नम्बर-584549 दिनांक 5-3-2008 ई0 आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक लि0 साहिबाबाद द्वारा व अंकन-7,00,000/रूपये बजरिये ड्राफट नम्बर-000742 दिनांक 7-3-2008 ई0 एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक कानपुर द्वारा व बाकि अंकन-3,35,000/रूपये

CHANDER KANT VERMA DEED WRITER

CHANDER KANT VERMA DEED WRITER

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 191712

{16}

विकेता ने नकद प्राप्त कर लिये है

Prateek Saxena नफीसा

उल्फत अली

गवाह-सईद खान पुत्र याकूब निवासी 10बी/ १८ वसुन्धरा गाजियाबाद

गवाह-सूर्य प्रकाश सक्सेना पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप सक्सेना निवासी 14 एल, ब्लाक 40 दुकान मार्किट किदवई नगर कानपुर -11

दिनांक 7-3-2008 ई0 मसौदा चन्द्रकान्त वर्मा बैनामा लेखक चैम्बर नम्बर- 57 तहसील कम्पाउन्ड गाजियाबाद

CHANDER KANT VERMA DEED WRITER

दूरभाष/फैक्स : 0120-2862025
पंजीकृत डाक द्वारा

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
हॉल सं0-एस.1, वसुन्धरा कॉम्पलैक्स, सैक्टर-16ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

पत्रांक: 9218 सं0प्र0 गाजियाबाद / दिनांक: 2/8/04 नकद/किश्त

प्रदेशन पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री प्रतिमा सक्सेना

म0 नं0-14 एल ब्लाक, 40 दुकान मार्केट किदवई नगर कानपुर-208011

महोदय/महोदया,

आप वसुन्धरा योजना गाजियाबाद में 92/72 प्रकार के फिनिश्ड/सेमी फिनिश्ड भवन हेतु पंजीकरण/चालान संख्या 624 पर पंजीकृत है। दिनांक 26.5.03 को हुये लाटरी ड्रॉ में आपके पक्ष में फ्री-होल्ड डयूपलेक्स भवन सं0 10B/92 परिषद द्वारा निर्धारित नियम/शर्तों के अधीन आवंटित है। सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं उसके विरूद्ध देय शेष धनराशि तथा देय विविध शुल्क का विवरण निम्नवत् है –

क– सम्पत्ति का कुल मूल्य:–

1–	निर्माण लागत	रू0– 408022=00
2–	भूमि मूल्य 80.83 व0मी0	रू0– 654723=00
3–	कार्नर की सम्पत्ति होने पर भूमि मूल्य का 10%	रू0– —
4–	भूमि मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड शुल्क	रू0– 78567=00
5–	भवन का कुल मूल्य	रू0– 1141312=00

ख–जमा धनराशि का विवरण:–

1–	पंजीकरण हेतु जमा धनराशि	रू0– 50,000=00
2–	पूर्व पंजीकरण पर अर्जित ब्याज	रू0– —
3–	मॉग पत्र के अनुसार जमा धनराशि	रू0– 854989=00
4–	कुल जमा धनराशि	रू0– 904989=00
5–	विलम्ब से किश्त जमा करने के कारण अतिरिक्त ब्याज	रू0– 6434=00
6–	अतिरिक्त ब्याज समायोजित करने के बाद शुद्ध जमा	रू0– 898555=00

ग–सम्पत्ति के मूल्य के विरूद्ध देय धनराशि का विवरण –

1–	नकद जमा योग्य धनराशि (क–ख)	रू0– 242757=00
2–	एकमुश्त देय धनराशि (अवशेष)	रू0– —
3–	शेष राशि निकटतम रू0–100.00 के पूर्णांक में	रू0– 57=00
4–	अवशेष मूल्य रू0–242700/– पर 13 % ब्याज सहित बनाई गयी 120 मासिक किश्त रू0– 3624=00 की होगी जो दिनांक 1-8-04 से देय होगी।	रू0– 3624=00
5–	किश्त पर भुगतान की स्थिति में देय धनराशि (2+3+4)	रू0– 3681=00

घ–विविध शुल्क मद में देय धनराशि

1–	विलेख निष्पादन व्यय	रू0– 300.00
2–	फ्री होल्ड पुस्तिका का मूल्य	रू0– 50.00
3–	पुनर्जीवन शुल्क	रू0– —
4–	अन्य	रू0– —
5–	कुल योग	रू0– 350=00

नकद भुगतान की स्थिति में 'ग–1' एवं 'घ' में अंकित धनराशि दिनांक — तक, किश्त पर भुगतान की स्थिति में 'ग–5' एवं 'घ' में अंकित धनराशि दिनांक 31-8-04 तक परिषद खाते में इलाहाबाद बैंक वसुन्धरा गाजियाबाद (सोमवार अवकाश) अथवा पंजाब एण्ड सिंध बैंक मण्डी परिषद शाखा साहिबाबाद गाजियाबाद (रविवार अवकाश) में जमा करायें। नकद पद्धति पर भुगतान की दशा में अतिरिक्त ब्याज दिनांक — से देय होगा।

किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त(म0) का निर्णय अंतिम होगा।

भवदीय,

सम्पत्ति प्रबन्धक/सहायक आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

आवश्यक निर्देश

1– किसी भी दशा में निर्धारित तिथि के बाद धनराशि के भुगतान किये जाने पर परिषद नियमानुसार 16% वार्षिक की दर से (पूर्ण माह का) अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

2– न्यायालय के आदेशों से भूमि प्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किसी कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तद्नुसार आपको भुगतान करना होगा।

3– वांछित धनराशि परिषद खाते में निर्धारित बैंक में जमा कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय को जमा की रसीद प्रस्तुत करनी होगी एवं पूर्व में जमा की गयी धनराशि की रसीदें मूल रूप में जमा करें।

4– परिषद नियुमानुसार निर्धारित शुल्क, जमा करने के उपरान्त रजिस्ट्री हेतु परिषद के कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड —11...... वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा गाजियाबाद से 3 मग साइट/बिल्डिंग प्लान प्राप्त करें। भौतिक कब्जा भी इसी खण्ड कार्यालय से प्राप्त होगा।

5– संलग्न प्रपत्र औपचारिकताओं संबंधी विवरण के अनुसार दिनांक 31-8-04 तक भवन का कब्जा प्राप्त करने हेतु पूर्ण करें।

6– आवंटी को रजिस्ट्री/कब्जा की सूचना अपने ऋणदाता विभाग को स्वयं प्रस्तुत करनी होगी।

7– दिनांक 31-8-04 तक देय धनराशि एवं पृष्ठ–3 एवं 4 पर उल्लिखित प्रपत्र/औपचारिकाओं को पूर्ण करके भवन का विकय विलेख (रजिस्ट्री) निष्पादित कराने हेतु दो साक्षी (गवाह) के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें जिससे कि रजिस्ट्री निष्पादित कर परिषद नियमानुसार भौतिक कब्जा प्रदान करने हेतु कब्जा पत्र निर्गत किया जा सके। यह आवंटी का स्वयं का उत्तरदायित्व है, अन्यथा दिनांक —9-04 से रू 50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

8– कब्जा पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर खण्ड कार्यालय से भौतिक कब्जा न लेने पर रू0–50.00 प्रतिदिन की दर से रख–रखाव शुल्क देय होगा।

9– आवंटी का स्वयं का उत्तरदायित्व है कि वह परिषद नियमानुसार औपचारिकतायें पूर्ण कर सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से रजिस्ट्री की दो प्रति प्राप्त कर उप निबन्धक कार्यालय, गाजियाबाद में पंजीकृत कराने हेतु स्वयं प्रस्तुत करें एवं पंजीकरण के उपरान्त छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

10– यदि आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित धनराशि का भुगतान एवं औपचारिकताये पूर्ण कर भवन का कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हें 15 दिन का नोटिस भेजा जायेगा एवं फिर भी कब्जा प्राप्त नही करते हैं तो परिषद नियमानुसार कटौती करते हुये भवन का आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवंटी स्वयं उत्तरदायी होगा।

11– उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बंधी विनियमावली विकय हेतु समस्त सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय एवं प्रचार अनुभाग, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में उपलब्ध है।

12– प्रदेशन पत्र के पृष्ठ संख्या–1 पर कमांक–'ग–1' के अनुसार यदि अधिक धनराशि जमा है तो कमांक–'घ' पर देय धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु रिफण्ड वाउचर पर परिषद नियमानुसार आवेदन करें।

13– धनराशि जमा करते समये आवंटित भवन संख्या का उल्लेख करें।

हमारा यही प्रयास – आपका अपना आवास

प्रपत्र/औपचारिकतायें संबंधी विवरण

1– पंजीकरण हेतु जमा धनराशि के चालान की मूल प्रति जमा करें। यदि चालान की मूल प्रति ऋणदाता विभाग में जमा है तो उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

2– भवन के विरूद्ध जमा धनराशि की समस्त मूल रसीदें प्रस्तुत करें। यदि पूर्व में जमा की गयी है तो फोटो प्रति प्रस्तुत करें।

3– विक्रय विलेख (रजिस्ट्री) हेतु रू0 17000/– + 100.00 के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद से खरीद कर प्रस्तुत करने होंगे। विक्रय विलेख हेतु फी–होल्ड पुस्तिका के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करनी होंगी। फी–होल्ड पुस्तिका जमा धनराशि की रसीद कार्यालय में प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है। शासनादेश के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी में परिवर्तन की दशा मे नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

4– फी–होल्ड पुस्तिका के पृष्ठ–5 पर उपलब्ध शपथ पत्र प्रारुप को रू0–10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें।

5– साइट प्लान/बिल्डिंग प्लान की 3 प्रतियाँ संबंधित खण्ड कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

6– रजिस्ट्री हेतु आवंटी स्वयं के नवीनतम 5 नग प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करे।

7– भवन का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु राजपत्रित अधिकारी से अपने फोटोग्राफ एव 3 नमूना हस्ताक्षर निम्नलिखित प्रारुप के अनुसार प्रमाणित कराकर 2 प्रतियो मे प्रस्तुत करे। प्रमाणितकर्ता का नाम व पता की मोहर सुस्पष्ट होना आवश्यक है।

प्रारुप

प्रमाणित किया जाता है कि मै श्री/श्रीमती/कु0 ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... निवासी ....
.... को भलीभाँति जानता हूँ।इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

आवंटित सम्पत्ति संख्या ....

नमूना हस्ताक्षर

1.
2.
3.

नोटः– फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणितकर्ता राजपत्रित अधिकारी का नाम पद नाम व पता सुपाठ्य/सील होना आवश्यक है।

हमारा यही प्रयास – आपका अपना आवास

8– रू0–10.00 का नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निम्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र ट.ंकत कराकर /सुस्पष्ट हस्तलिपि में नोटरी/मैजिस्ट्रेट /सब जज द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।

समक्ष आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद

शपथ पत्र

मै (नाम) ....पुत्र /पत्नी/पुत्री श्री .... उम्र ....
निवासी...निम्न
प्रकार शपथपूर्वक बयान करता हूँ

1– मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णत अशत गाजियाबाद नगर मे नहीं है और उ0प्र0के किसी और अन्य नगर मे एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नही है।

2– मेरे /मेरी पत्नी/मेरी पति अथवा अवयस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम–1976 मे निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी ।

3– मेरे /मेरी पत्नी/मेरी पति अथवा अवयस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा मे परिषद की योजना मे केवल इसी एक भवन के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।

4– मेरे /मेरी पत्नी/मेरी पति अथवा अवयस्क बच्चों को परिषद द्वारा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भवन/भूखण्ड शहर में आवंटित नहीं है। एवं उ0प्र0 के अन्य किसकी शहर में आवंटित नही है।

घोषणा

मै (नाम) .... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरे/मेरी जानकारी मे सही हैं और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

स्थान:
दिनांक: शपथी

प्रमाणित मैजिस्ट्रेट/सबजज/नोटरी

रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम .... पुत्र/पत्नी/पुत्री ....
2. पता ....
3. आवंटित भवन संख्या ....
4. राष्ट्रीयकृत बैंक में उपलब्ध आवेदक का बैंक खाता संख्या ....
   बैंक की शाखा व शहर का नाम ....
5. आवेदक के हस्ताक्षर

(रू0–1.00 की रसीदी टिकट पर जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराने होंगे। प्रमाणितकर्ता का नाम व पदनाम, पता की स्पष्ट मोहर हो।)

——————— कार्यालय प्रयोग हेतु ———————

भवन संख्या– .... के खाता पृष्ठ संख्या– .... के अनुसार जमा अधिक धनराशि रू0– .... (शब्दों में) ....
आवंटी श्री .... को वापस करने के आदेश दिए जाते हैं।

सम्पत्ति प्रबन्धक/ सहायक आवास आयुक्त

F-64

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड - 11

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

16-ए, वसुन्धरा कॉम्पलेक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ०प्र०)

☎ 0120-2882015 (का०), 0120-2882274 (आ०)

पत्र संख्या - 02 / कब्जा पत्र / A.E.D / C.D.XI दिनांक 18.10.04

भौतिक कब्जा - पत्र

सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय गाजियाबाद के कब्जा पत्र सं0– 9730/सं0ज0सं0 दिनांक 19.8.04 द्वारा प्राप्त प्रमाणित हस्ताक्षर एंव फोटो के आधार पर वसुन्धरा योजना सं0–3, गाजियाबाद के सेक्टर–1/10 में स्थित भवन/भूखंड सं0– 10B/99 जिसका क्षेत्रफल 80.83 वर्गमीटर है, का भौतिक कब्जा आज दिनांक 18.10.04 को पीछे अंकित इन्वेन्ट्री में दिये गये विवरण के अनुसार हस्तान्तरित किया गया है। उक्त भवन/भूखंड की माप एंव क्षेत्रफल निम्नवत है।

1. भवन/भूखंड की सामने की माप 6.415 मी0
2. भवन/भूखंड की पीछे की माप 6.415 मी0
3. भवन/भूखंड की बायें किनारे की माप 12.60 मी0
4. भवन/भूखंड की दायें किनारे की माप 12.60 मी0

कुल क्षेत्रफल 80.83 वर्ग मी0

परिषद की ओर से कब्जा हस्तान्तरित किया गया

Pratima Saxena

आवंटी/कब्जा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम : Pratima Saxena.

पता : H.N. - 14 L, 40 Dukan market Kidwai Nagar, KANPUR-41

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर [signature] 18/10/04

नाम : लोकेश कुमार एवम ए० के० अग्रिहोत्री

अवर अभियन्ता

प्रति हस्ताक्षर [signature]

नाम : एम०एस० सफदर

सहायक अभियन्ता

घोषणा :–

प्रमाणित किया जाता है कि मैने उक्त भवन/भूखंड सं0– 10B/99 का स्थल निरीक्षणोपरान्त दिनांक 18.10.04 को भौतिक कब्जा पूर्ण सतुष्टि सहित प्राप्त कर लिया है तथा अब इसका सम्पूर्ण दायित्व मेरा होगा।

दिनांक 18.10.04

आवंटी के हस्ताक्षर Pratima Saxena

आवंटी का नाम (PRATIMA SAXENA)

दिनांक 18.10.04

पत्रांक

प्रतिलिपि :–

1. श्री/श्रीमति/कुमारी प्रतिमा सक्सेना
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खंड–11, गाजियाबाद को दो प्रतियों में कार्यालय अभिलेखार्थ एंव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता श्री लोकेश कुमार नि0ख0–11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।